

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2019/761


दिनांक:-4/10/19

### आदेश

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-भरतपुर के द्वारा उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय के माध्यम से बाडी रोड, धौलपुर योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग का आवास/फ्लेट संख्या 3/370 एवं अल्प आय वर्ग का आवास/फ्लेट संख्या 3/398, कुल 02 आवासों/फ्लेटों का निस्तारण ई-ऑक्शन के माध्यम से 0-25 प्रतिशत Slab में निस्तारण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः प्राप्त प्रस्तावानुसार उक्त आवास/फ्लेटों को ई-ऑक्शन में 0-25 प्रतिशत ऋणात्मक दर पर निस्तारण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा उक्त आवास/फ्लेटों का निस्तारण न्यूनतम ऋणात्मक दर पर आरक्षित दर में 0-25 प्रतिशत का Slab में रखते हुए ई-ऑक्शन के तहत मण्डल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 164 दिनांक 21.08.19 में निर्धारित शर्तों के अनुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करण।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 28/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

  
(डॉ० प्रभा व्यास)  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

### प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ -

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर, राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-भरतपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, भरतपुर।
8. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक